न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 187/2025

दायर तारीख 24.10.2025

अनवान

1. बाबुलाल अहीर पिता खाना अहीर उम्र 22 वर्ष निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 01. श्री सुनील कुमार जोशी – अधिवक्ता प्रार्थी।
02. पैरोकार सरकार।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 23/12/2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटियां में स्थित खातेदारी कब्जेशुदा आराजीयात खाता संख्या 285 आ0नं0 281 में 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 291 आ0नं0 312, 321 में 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 289 आ0नं0 492,766/290 में 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 287 आ0नं0 185, 193 में 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 136 आ0नं0 218 में 1/192 हिस्सा, खाता संख्या 170 आ0नं0 287 में 1/24 हिस्सा निहित हैं। जो कि नाबालिग सुर्यकरण पुत्र खाना संरक्षक सरपरस्त माता तुलसीदेवी जाति अहीर के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी को विरासत से नामान्तरकरण के आधार पर प्राप्त हुयी है प्रार्थी के पिता जी खाना पिता छोटु अहीर की मृत्यु के बाद विरासत से हुये नामान्तरण सं. 646/04.02.2008 में गलत इन्द्राज से नामाबलिग सुर्यकरण पुत्र खाना संरक्षक सरपरस्त माता तुलसीदेवी जाति अहीर जबकि बाबूलाल पिता खाना अहीर होना चाहिए था। तब से ही त्रुटि चली आ रही हैं। राजस्व रेकॉर्ड में स्पष्टत गलत भू–प्रबन्धन में किए गए गलत इन्द्राजों की लिपिकीय गलती से नाबालिग सुर्यकरण पुत्र खाना संरक्षक सरपरस्त माता तुलसीदेवी जाति अहीर के नाम पर दर्ज कर दी गयी हैं जो कि गलत हैं त्रुटि सुधार कर बाबुलाल अहीर किया जाना शुद्धि योग्य हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के उक्तानुसार खातो में लिपिकीय भूल का सुधार कर प्रार्थी का नाम नाबालिग सुर्यकरण के बजाय बाबुलाल अहीर दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड को सुधारने के आदेश विपक्षी को प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार बिजौलियां के अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि भू.अ.नि. सलावटियां/ पटवारी हल्का सलावटियां अनुसार ग्राम–झाडोली की जमाबंदी संवत 2074–2077 की खाता सं. 285 291, 289, 287, 170 व 136 में नाबालिक सूर्यकरण पुत्र खाना संरक्षक सरपरस्त माता तुलसी देवी अहीर

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

दर्ज है। मौतविरान से जानकारी करने पर सूर्यकरण को बाबूलाल के नाम से भी जाना जाता है। एवं प्रार्थी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम बाबूलाल पिता काना दर्ज है। ग्राम पंचायत की तस्दीक अनुसार भी बाबूलाल पिता खाना व सूर्यकरण पिता खाना एक ही व्यक्ति है। मौके पर उपस्थित मौतविरान ने बताया की प्रार्थी का नाम सूर्यकरण पुत्र खाना संरक्षक सरपरस्त माता तुलसी देवी के बजाय नाम सूर्यकरण उर्फ बाबूलाल पुत्र खाना सरपरस्त माता तुलसी देवी शुद्ध किये जाने में मौतविरान व प्रार्थी/परिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्तानुसार रिपोर्ट की प्रति, मौका पर्चा संलग्न किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम झाडोली प0ह0 सलावटियां सम्वत् 2074 से 2077, आधारकार्ड बाबूलाल, ग्राम पंचायत सलावटियां के तस्दीक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अनुसार उक्तानुसार आराजीयात में प्रार्थी का नाम नाबालिग सुर्यकरण के बजाय बाबुलाल अहीर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहा हैं एवं पैराकार सरकार ने उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जवाब प्रस्तुत किया हैं।

पैरोकार सरकार स्वयं ने अपने उक्त जवाब में अंकित किया कि बाबूलाल पिता खाना व सूर्यकरण पिता खाना एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम सूर्यकरण पुत्र खाना संरक्षक सरपरस्त माता तुलसी देवी के बजाय नाम सूर्यकरण उर्फ बाबूलाल पुत्र खाना सरपरस्त माता तुलसी देवी शुद्ध किये जाने में प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेज एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैरोकार सरकार के जवाब एवं दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटियां में स्थित खातेदारी आराजीयात खाता संख्या 285 आ0नं0 281 में 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 291 आ0नं0 312, 321 में 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 289 आ0नं0 492,766/290 में 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 287 आ0नं0 185, 193 में 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 136 आ0नं0 218 में 1/192 हिस्सा, खाता संख्या 170 आ0नं0 287 में 1/24 हिस्से भूमि में प्रार्थी का नाम नाबालिग सुर्यकरण पुत्र खाना संरक्षक सरपरस्त माता तुलसीदेवी जाति अहीर के बजाय नाम सूर्यकरण उर्फ बाबूलाल पुत्र खाना सरपरस्त माता तुलसी देवी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 23/12/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

राजस्व प्रकरण संख्या 187/2025 दायर तारीख 24.10.2025

क्रमांक/रीडर/2025/ दिनांक : / /2025

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :– राजस्व प्रकरण संख्या 187/2025 दायर तारीख 24.10.2025 अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** में पारित निर्णय की पालना बाबत्।

अनवान

1. बाबुलाल अहीर पिता खाना अहीर उम्र 22 वर्ष निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि उक्त राजस्व प्रकरण संख्या 187/2025 दायर तारीख 24.10.2025 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय की नियमानुसार पालना करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– आदेश की प्रति,

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां